संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक / स्थापना अवि. / 2018 / 1314 नया रायपुर, दिनांक :– 29 / 12 / 2018

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संभाग स्तरीय रेडियोग्राफर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2019 से 27.01.2019 तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:–

क्र.	संभाग	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
		कुल रिक्त	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.स.	नि:शक्तजन (OL, HH)	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1	रायपुर	11	अना.	0	3	0	4	**7**	आयु सीमा 01.01.18 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष। शासन द्वारा समय – समय पर छूट के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।	(1) विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) एक्स–रे–तकनीशियन / रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। (3) छ.ग. पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीयन अनिवार्य होगा।
			अजजा	0	1	0	2	**3**		
			अजा	0	0	0	1	**1**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
2	सरगुजा	9	अना.	1	0	0	1	**2**		
			अजजा	4	1	1	1	**7**		
			अजा	0	0	0	0	**0**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
3	बस्तर	1	अना.	0	0	0	0	**0**		
			अजजा	1	0	0	0	**1**		
			अजा	0	0	0	0	**0**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
योग		**21**	–	**6**	**5**	**1**	**9**	**21**		

नोट :–1. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) एवं HH (श्रवण बाधित) दिव्यांग ही पात्र होगें।

2. बस्तर संभाग के पदों के लिए केवल बस्तर संभाग के एवं सरगुजा संभाग के रिक्त पदों के लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होगे।

3. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591 / 2012, रिट पिटीशन(सी) 592 / 2012, रिट पिटीशन (सी) 593 / 2012, या रिट पिटीशन (सी) 594 / 2012, में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियो की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

उक्त पदों की संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्ते, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी जानकारी व्यापम की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

सामान्य नियम एवं शर्तें :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 17.01.2012 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र ज्ञापन क्रमांक 1–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 04.03.2017 के अनुसार बस्तर संभाग के रिक्त पदो के लिए केवल बस्तर संभाग के एवं सरगुजा संभाग के रिक्त पदो के लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे शेष संभाग के पदों हेतु छ.ग. का मूल निवासी होना पर्याप्त है। उक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. आवेदन कौन कर सकता है :-

क्रमांक	संभाग का नाम	जिस संभाग के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकता है।
1	सरगुजा	केवल सरगुजा संभाग
2	बस्तर	केवल बस्तर संभाग
3	रायपुर	सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर
4	बिलासपुर	सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर

4. पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक है।
5. विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके मेरिट के आधार चयन किया जावेगा।
6. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।
7. आवेदन करने के पूर्व नीचे उल्लेखित विस्तृत संभागवार एवं संवर्गवार पद की स्थिति अवश्य देख लेंवे। जिस संभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं। उस संभाग में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें अन्यथा नहीं।
8. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
9. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।

(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014. में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) एवं HH (श्रवण बाधित) से दिव्यांग ही पात्र होंगे।

10. अनु.जाति. अनु.जन जाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।
12. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शाये गये पद संख्या से अधिक पदों पद भर्ती नहीं की जावेगी। विज्ञापन के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ को होगा।
13. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त से कम अंक प्राप्त होने पर चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त या किसी भी प्रकार से दण्डित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्ति की सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।
16. भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा।
18. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर संबंधित संभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उस संभाग के आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त मेरिट सूची एवं प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी। तद्उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।
19. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संभागीय पदों हेतु संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नियुक्ति के समय कराया जावेगा। प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा परीणाम/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
20. प्रतीक्षा सूची कुल विज्ञापित पदों के संख्या के 25 प्रतिशत वर्गवार एवं आरक्षणवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होनें के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।
21. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
22. नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर उसे उस संभाग के किसी भी संस्था में भेजा जावेगा, जिस संभाग का चयन आवेदक द्वारा किया गया है। यदि नियुक्ति किये गये स्थान में कार्यभार ग्रहण तिथि तक कार्य पर उपस्थित नही होते है, तो नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगें।
23. शासन नियमानुसार पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
24. चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में लिया जावेगा।

25. सक्षम नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति लेकर ही उनकी उपस्थिति कार्य में ली जावेगी।

26. परीक्षा पद्धति :– छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा के रेडियोग्राफर पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यापमं के वेबसाईट पर देखी जा सकेगी।

27. संभागवार रिक्त पदों का वर्गवार एवं आरक्षणवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	संभाग	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
		कुल रिक्त	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	निःशक्तजन (OL, HH)	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1	रायपुर	11	अना.	0	3	0	4	**7**	आयु सीमा 01.01.18 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष। शासन द्वारा समय – समय पर छूट के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।	(1) विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) एक्स–रे–तकनीशियन / रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। (3) छ.ग. पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीयन अनिवार्य होगा।
			अजजा	0	1	0	2	**3**		
			अजा	0	0	0	1	**1**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
2	सरगुजा	9	अना.	1	0	0	1	**2**		
			अजजा	4	1	1	1	**7**		
			अजा	0	0	0	0	**0**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
3	बस्तर	1	अना.	0	0	0	0	**0**		
			अजजा	1	0	0	0	**1**		
			अजा	0	0	0	0	**0**		
			अ.पि.व.	0	0	0	0	**0**		
योग		**21**	–	**6**	**5**	**1**	**9**	**21**		

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़